केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 23353503, फैक्स : 23753923

याचिका सं. 69/टीएल/2022 दिनांक : 09.06.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

आवेदक, पावरग्रिड साउदर्न इंटर कनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीएसआईटीएल), जिनका पंजीकृत कार्यालय बी–9, कुतुब इंडस्ट्रियल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110 016 है, द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए योजनाओं, अर्थात् (i) 765 केवी चिलकलूरीपेट (भाग–ख) पर 765 केवी स्पेयर (1–पीएच) रिएक्टर यूनिटों की आवश्यकता, और (ii) विनियमित टैरिफ तंत्र (आरटीएम) मोड (इसके बाद 'पारेषण योजना' के रूप में उल्लिखित) पर 765 केवी चिलकलूरीपेट पर बस रिएक्टर के रूप में स्विचेबल लाइन रिएक्टर को उपयोग करने के लिए एनजीआर को बाईपास करने हेतु योजना, के कार्यान्वयन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है:

क. 765 केवी चिलकलूरीपेट (भाग–ख) पर 765 केवी स्पेयर (1–पीएच) रिएक्टर यूनिटों की आवश्यकता

पारेषण योजना का क्षेत्र	क्षमता/किलोमीटर	
प्रचालन आवश्यकता के अनुसार सेवा में स्पेयर रिएक्टर यूनिटों को लेने हेतु आवश्यक व्यवस्था के साथ 765 केवी चिलकलूरीपेट पर 80 एमवीएआर रिएक्टर का एक स्पेयर यूनिट (1–पीएच)	1X125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर 80 एमवीएआर (1–पीएच)	सीटीयू द्वारा ओएम जारी किए जाने से 15 मास

ख. 765 केवी चिलकलूरीपेट पर बस रिएक्टर के रूप में स्विचेबल लाइन रिएक्टर को उपयोग करने के लिए एनजीआर को बाईपास करने हेतु योजना:

पारेषण योजना का क्षेत्र	क्षमता/किलोमीटर	
चिलकलूरीपेट 765 केवी सबस्टेशन पर वेमागिरी – चिलकलूरीपेट 765 केवी डी/सी लाइन के प्रत्येक सर्किट पर संस्थापित बस रिएक्टरों के रूप में स्विचेबल लाइन रिएक्टरों (240 एमवीएआर प्रत्येक) को उपयोग करने के लिए एनजीआर बाईपास व्यवस्था	एनजीआर बाईपास व्यवस्था	सीटीयू द्वारा ओएम जारी किए जाने से 6 मास

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 16.11.2021 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को निश्चित करने के साथ आरटीएम मोड पर विषय पारेषण योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया और इसे विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और एनसीटी को भी व्याख्यायित किया।
3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ने पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजनाओं (1) 765 केवी चिलकलूरीपेट (भाग–ख) पर 765 केवी स्पेयर (1–पीएच) रिएक्टर यूनिट की आवश्यकता और (2) 765 एम रूट के माध्यम से 765 केवी चिलकलूरीपेट पर बस रिएक्टर के रूप में स्विचेबल लाइन रिएक्टर को उपयोग करने के लिए एनजीआर को बाईपास करने हेतु योजना के निष्पादन के लिए पीएसआईटीएल को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 69/टीएल/2022 में दिनांक 8.6.2022 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित विनियमित टैरिफ तंत्र पर पारेषण योजना हेतु याचिकाकर्ता को पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।
5. पावरग्रिड साउदर्न इंटर कनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करने हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर 30.6.2022 तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. आयोग द्वारा सही अनुक्रम में आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव